63

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

श्री .... को
द्वारा आज दि 6.1.17 को
प्रस्तुत
6.1.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R/129-II/17

1. शिवाकान्त पिता स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 उम्री– वर्ष, पेशा– खेती,
2. शंभू प्रसाद पिता स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 उम्री– वर्ष, पेशा– खेती,
3. माया देवी विधवा पत्नी शंकरदयाल ब्रा0 उम्री– वर्ष, पेशा– खेती,

सभी निवासी ग्राम– करौंदिया राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.) ———— पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

ललुआ बैगा तनय लखुआ बैगा मृतक द्वारा विधिक वारिसान–

1. भुआले बैगा तनय स्वर्गीय ललुआ बैगा उम्री– 43 वर्ष, पेशा– खेती,
2. प्रेमलाल बैगा तनय स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 32 वर्ष, पेशा– खेती,
3. गरीबलाल बैगा तनय स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 30 वर्ष, पेशा– खेती,
4. बृजभान बैगा तनय स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 26 वर्ष, पेशा– खेती,
5. मुसम्मात मानवती विधवा रायसेन बैगा उम्री– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
6. श्रीमती बुटौली बैगा पुत्री स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 28 वर्ष,पेशा– गृहकार्य,
7. श्रीमती पंचवती पुत्री स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री लगभग– 24 वर्ष, पेशा– गृहकार्य,

सभी निवासी ग्राम– करौंदिया राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

8. श्रीमती केमलइया पुत्री स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 एवं पत्नी गंगा प्रसाद ब्रा0 उम्री लगभग– 75 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)
9. श्रीमती सुवसुआ उर्फ वसुआ पुत्री स्वर्गीय दमोदर प्रसाद ब्रा0 एवं पत्नी भोला प्रसाद ब्रा0 उम्री– 72 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम– धकड़ी/पड़रिया, थाना– कमर्जी, तहसील– चुरहट, जिला– सीधी (म.प्र.)
10. वृन्दवसुआ पुत्री स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 एवं पत्नी जगदीश प्रसाद ब्रा0 सा0– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.) मृतक द्वारा विधिक वारिसान–

10(क) शिवकुमार पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद ब्रा0 एवं माता स्वर्गीय वृन्दवसुआ उम्री लगभग– 63 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

10(ख) भारतलाल पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद ब्रा0 एवं माता स्वर्गीय वृन्दवसुआ उम्री लगभग– 59 वर्ष, पेशा– खेती, व नौकरी निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

10(ग) शत्रुघ्न प्रसाद पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद ब्रा0 एवं माता स्वर्गीय वृन्दवसुआ उम्री लगभग– 57 वर्ष, पेशा– खेती, व नौकरी निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

——— गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला– सीधी राजस्व अपील संख्या 56/अपील/2012–13 आवेदन पत्र क्रमांक– 304/आर0 सी0एम0एस0 आदेश दिनांक– 31.12.2016 जिसके अनुसार गैरपुनरीक्षणकर्तागण की अपील स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी चुरहट, जिला– सीधी के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 1/अ–23/1992–93 में पारित आदेश दिनांक– 10.04.2001 को निरस्त करते हुये ग्राम– करौंदिया, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी स्थित आराजी पुराना खसरा नंबरान् 30/3.32 एकड़ के अंश रकवा 2.32 एकड़, खसरा नंबर– 31/0.28 एकड़, 32/3.73 एकड़ व 33 रकवा 0.13 एकड़ जिसका कि नया बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 480 रकवा 0.03 है0, नया बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 481 रकवा 0.40 है0, नया बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 482 रकवा 1.50 है0, नया बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 514 रकवा 0.16 है0, नया बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 515 रकवा 0.24 है0 के बावत् दर्ज भूमिस्वामीगण का नाम विलोपित करके अकाली पिता दिरपाल बैगा के वारिसानों का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है तथा अकाली

संशोधित कराकर मौके से उक्त वादग्रस्त आराजियात का कब्जा सौंपने का आदेश तहसीलदार रामपुर नैकिन को दिया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि अनावेदक क्रमांक– 2 से 4 एवं अनावेदक क्रमांक– 6 व 7 के पितामह एवं अनावेदक क्रमांक– 1 के पिता स्वर्गीय ललुआ तनय सखुआ बैगा के द्वारा दिनांक– 25.04.1988 को अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, जिला– सीधी के अदालत में धारा– 170ख म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया जिसमें अनावेदक के रूप में दामोदर प्रसाद पिता बृजकिशोर राम ब्रा0 अर्थात् निगरानीकर्ता क्रमांक– 1 व 2 के पिता तथा निगरानीकर्ता क्रमांक– 3 के श्वसुर स्वर्गीय दामोदर प्रसाद को पक्षकार बनाया था। उक्त प्रकरण को प्रकरण क्रमांक– 3/अ–23/1988–89 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था।

2. यह कि आवेदक ललुआ का अभिवचन था कि ग्राम– करौंदिया, जनरल नंबर– 82, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी स्थित आराजी पुराना खसरा नंबर– 30 रकवा 3.32 एकड़, खसरा नंबर– 31 रकवा 0.28 एकड़, खसरा नंबर– 32 रकवा 3.73 एकड़ एवं खसरा नंबर– 33 रकवा 0.13 एकड़ किता– 4 योग रकवा 6.46 एकड़ के भूमिस्वामी आवेदक के बाबा अकाली बैगा थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमियों पर आवेदक के बाबा अकाली बतौर भूमिस्वामी अपने जीवनकाल तक काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर आवेदक का पिता लखुआ बैगा वारिसाना हक के आधार पर काबिज था तथा उसकी मृत्यु के बाद आवेदक काबिज हुआ।

3. यह कि आवेदक स्वर्गीय ललुआ का अभिवचन था कि वादग्रस्त आराजियात आवेदक के कब्जे दखल में रही आई किन्तु वर्ष 1962–63 में अनावेदक ने चोरी–चोरी राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवरी को अपने पक्ष में मिलाकर अन्य आराजियात के साथ वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण अपने नाम करा लिया जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं हो पाई।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-129-दो/2017

जिला सीधी

शिवाकांत विरूद्ध ललुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित । उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदक के निवेदन पर प्ररकण लिया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	